

## कार्यालय जनपद न्यायालय, उन्नाव।

(नजारत अनुभाग)

नीलामी सूचना

बावत कराये जाने नीलामी, जनपद न्यायालय, उन्नाव परिसर में कैंटीन, साइकिल स्टैण्ड एवं जूस स्टाल के ठेके की नीलामी के सम्बन्ध में।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये जनपद न्यायालय, उन्नाव के परिसर में निम्नलिखित स्थलों की नीलामी नीचे अंकित शर्तों के अनुसार दिनांक 27.03.2024 को समय 4.30 बजे अपराह्न नीलामी समिति की उपस्थिति में जनपद न्यायालय में भीटिंग हाल में होगी। नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को आईटम के अनुसार अधोलिखित जमानत की धनराशि बोली बोलने से पहले न्यायालय के कैशियर के पास उसी दिन दोपहर 12.00 बजे तक जमा करनी होगी। नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का निर्णय तथा नीलामी बोली को स्वीकार किये जाने अथवा निरस्त किये जाने का सम्पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, उन्नाव के अधीन सुरक्षित होगा।

क्र०सं०	आईटम	धरोहर धनराशि (रु० में)	न्यूनतम बोली धनराशि (रु० में)
1	कैन्टीन	01,26,226-00	5,05,010-00
2	साइकिल स्टैण्ड	60,528-00	02,42,110-00
2	जूस स्टाल	38,000-00	1,48,500-00

नियम व शर्तें :-

1— दुकाने, जहां है जैसी हैं की स्थिति में दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक उक्त कार्य हेतु अनुज्ञाप्ति पर देने हेतु नीलामी की जायेगी।

2— बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु अग्रिम जमानत राशि नगद जमा करनी होगी, जो नीलामी समाप्त होने पर, नीलामी में असफल व्यक्ति को नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।

3— नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी केन्द्रीय नाजिर से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 25.03.2024 तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

4— नीलामी होने वाली दुकानों को नीलामी वाले दिन से पूर्व प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे के मध्य केन्द्रीय नाजिर से सम्पर्क कर देखा जा सकता है तथा बोली बोलने वाले व्यक्ति का यह स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली लगाने से पूर्व उक्त दुकानों का पूर्ण निरीक्षण कर ले।

5— जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली की 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी, तथा 25 प्रतिशत धनराशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी। यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा उक्त धनराशि नहीं जमा की जाती है तो बोली स्वतः निरस्त समझी जायेगी व जमानत की अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इस स्थिति में नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि यदि समिति चाहें तो वह अधिकतम बोली से दूसरे नम्बर की बोली लगाने वाले व्यक्ति को सम्बन्धित आईटम का अनुज्ञाप्ति पर देने हेतु आमंत्रित कर सकता है तथा इस प्रकार आमंत्रित किये जाने वाले व्यक्ति द्वारा अपनी बोली के अनुसार उपरोक्त शर्तों का पालन किया जायेगा।

6— शेष 50 प्रतिशत धनराशि सफल व्यक्ति को नीलामी की दिनांक से तीन माह की अवधि के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके अग्रिम जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

7— नीलामी की गयी दुकान का कब्जा उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को तभी दिया जायेगा जबकि उसने दुकान के अनुज्ञाप्ति शुल्क का पूरा भुगतान कर दिया हो।

8— बोली में सफल व्यक्ति को अनुज्ञाप्ति लेने से पूर्व जनपद न्यायालय के साथ एक वर्ष के लिये 100.00 रुपये के नान-ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर अनुज्ञाप्ति अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करनें होंगे।

- 9— बोली में सफल जिस व्यक्ति को अनुज्ञप्ति दी जायेगी वह व्यक्ति दिनांक 31.03.2025 तक दुकान से अपना सामान हटाकर रात्रि 12.00 बजे तक या उससे पहले दुकान खाली कर देगा।
- 10— जिस उद्देश्य हेतु दुकान की नीलामी की जायेगी वह दुकान उसी उद्देश्य हेतु प्रयोग की जायेगी, अन्य किसी प्रकार से नहीं।
- 11— बोली में सफल वयक्ति दुकान को स्वच्छ व साफ स्थिति में रखेगा। बोली में सफल वयक्ति दुकान में कूड़ादान रखेगा तथा कूड़ा—कचरा उसी कूड़ादान में डालेगा और अपने स्तर पर ही कचरा को वहाँ से हटवायेगा।
- 12— बोली में सफल वयक्ति दुकान की भौतिक स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई स्थायी परिवर्तन नहीं करेगा और न ही दुकान को कोई नुकसान पहुंचायेगा।
- 13— दुकान में रखे जाने वाले सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं दुकान रखने वाले की हा. गी तथा जनपद न्यायालय किसी भी दशा में चोरी, सेंध, आग या किसी अन्य घटना, यदि कोई हो, के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- 14— दुकानों का संचालन सुबह 09.00 बजे से शाम 07.00 बजे तक ही किया जा सकेगा।
- 15— दुकान में प्रयोग की जाने वाली बिजली के लिये अलग से एक सब—मीटर लगा हुआ है तथा दुकान लेने वाले व्यक्ति को मीटर की रीडिंग के अनुसार प्रति माह उ0प्र0 में प्रचलित बिजली दर के अनुसार न्यायालय के लेखा विभाग में जमा करना होगा।
- 16— दुकानों में सामान्य बिजली कनेक्शन दिया गया है यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार की बिजली के उपकरण लगाना चाहता है तो वह स्वयं अपने खर्चे पर इस प्रकार का प्रबन्ध कर सकता है। इस स्थिति में दुकान को खाली करते समय उसे अपने द्वारा लगाये गये बिजली के उपकरण आदि को हटाना होगा तथा ऐसे उपकरण को हटाते समय भवन को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं कारित की जायेगी।
- 17— एक व्यक्ति को एक ही दुकान अनुज्ञप्ति पर दी जायेगी। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक दुकान अनुज्ञप्ति पर नहीं दी जायेगी।
- 18— जिस व्यक्ति को दुकान अनुज्ञप्ति पर दी जायेगी, वह स्वयं उसका उपयोग करेगा तथा अन्य किसी व्यक्ति को वह दुकान संचालन हेतु नहीं देगा।
- 19— बोली में सफल वयक्ति अनुज्ञप्ति पर दुकान प्राप्त करने के पश्चात् किसी अन्य व्यक्ति को दुकान हस्तान्तरित नहीं कर सकता है।
- 20— जनपद न्यायालय प्रशासन को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कार्यदिवस में कार्यावधि के दौरान किसी भी दुकान के स्थल का भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- 21— यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो जनपद न्यायाधीश को अनुज्ञप्ति अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 22— नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे, अन्तिम बोली की स्वीकृति जनपद न्यायाधीश द्वारा स्वीकृति के अधीन होगी।
- 23— नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का न्यायिक क्षेत्राधिकार जनपद उन्नाव होगा।
- 24— नीलामी के ठीक पूर्व नीलामी समिति द्वारा अन्य नियम व शर्तों यदि कोई हो, की जानक. री दी जायेगी।
- 25— अनुज्ञप्तिधारक की घरोहर राशि अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने पर वापस की जायेगी।

दिनांक 07.03.2024

अध्यक्ष, नीलामी समिति /  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कोर्ट स01,उन्नाव।

प्रतिलिपि सार्वजनिक सूचना हेतु निम्नलिखित के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये:-

- 1— कार्यालय जिजा जज, उन्नाव।
- 2— कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव।
- 3— कार्यालय नगर पालिका परिषद, उन्नाव।
- 4— कार्यालय जिला परिषद, उन्नाव।
- 5— कार्यालय लोक निर्माण विभाग, उन्नाव।
- 6— निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
- 7— अध्यक्ष / महामंत्री, जिला अधिवक्ता संघ, उन्नाव।
- 8— नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, उन्नाव।
- 9— नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को बेवसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
- 10—रेलवे स्टेशन नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 11—बस स्टेशन नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 12—स्थानीय समाचार-पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु जिला सूचना अधिकारी, उन्नाव को प्रेषित।

दिनांक 07.03.2024

अध्यक्ष, नीलामी समिति /  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

कार्यालय जनपद न्यायालय, उन्नाव।  
(नजारत अनुभाग)  
नीलामी सूचना  
संख्या: / नजारत-उन्नाव दिनांक 03.2024

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये जनपद न्यायालय, उन्नाव में स्थित कैण्टीन, साइकिल स्टैण्ड तथा जूस स्टाल की नीलामी दिनांक 27.03.2024 को समय 4.30 बजे अपराह्न न्यायालय परिसर में स्थित केन्द्रीय हाल में की जायेगी। नीलामी हेतु इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि व स्थान पर उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं। शर्तों से सम्बन्धित विस्तृत विवरण की जानकारी केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, उन्नव से की जा सकती है।

प्रारम्भिक न्यूनतम बोली निम्न प्रकार है:

क्रमांक	आईटम	धरोहर धनराशि (₹० में)	न्यूनतम बोली धनराशि (₹० में)
1	कैण्टीन	01,26,226-00	5,05,010-00
2	साइकिल स्टैण्ड	60,528-00	02,42,110-00
2	जूस स्टाल	38,000-00	1,48,500-00

दिनांक 07.03.2024

अध्यक्ष, नीलामी समिति /  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कोर्ट सं01, उन्नाव।

प्रतिलिपि सार्वजनिक सूचना हेतु निम्नलिखित के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये:-

- 1— कार्यालय जिजा जज, उन्नाव।
- 2— कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव।
- 3— कार्यालय नगर पालिका परिषद्, उन्नाव।
- 4— कार्यालय जिला परिषद्, उन्नाव।
- 5— कार्यालय लोक निर्माण विभाग, उन्नाव।
- 6— निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
- 7— अध्यक्ष/महामंत्री, जिला अधिवक्ता संघ, उन्नाव।
- 8— नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, उन्नाव।
- 9— नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को बेवसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
- 10— रेलवे स्टेशन नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 11— बस स्टेशन नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 12— स्थानीय समाचार-पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु जिला सूचना अधिकारी, उन्नाव को प्रेषित।

दिनांक .03.2024

अध्यक्ष, नीलामी समिति /  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कोर्ट सं01,उन्नाव ।

प्रेषक,

अध्यक्ष, नीलामी वाहन /  
अपर जिला जज कोर्ट सं01,उन्नाव ।  
सेवा में,

निदेशक,  
सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

संख्या: / नजारत—नीलामी वर्ष 2024–25 उन्नाव: दिनांक .03.2024

विषय— निविदा सूचना के निःशुल्क प्रकाशन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु जनपद न्यायालय,उन्नाव में स्थित कैण्टीन, साइकिल स्टैण्ड तथा जूस स्टाल की नीलामी करायी जानी है। जिस हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु निम्न सूचना का निःशुल्क विज्ञापन कराया जाना है।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये जनपद न्यायालय, उन्नाव में स्थित कैण्टीन, साइकिल स्टैण्ड तथा जूस स्टाल की नीलामी दिनांक 25.03.2024 को समय 4.30 बजे अपराह्न न्यायालय परिसर में स्थित केन्द्रीय हाल में की जायेगी। नीलामी हेतु इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि व स्थान पर उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं। शर्तों से सम्बन्धित विस्तृत विवरण की जानकारी केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय,उन्नव से की जा सकती है।

शासनादेश सं0 562/उन्नीस-2-2007-1007/74टी0सी0 सूचना अनुभाग-2 लखनऊ दिनांकित 04.07.2007 के परिप्रेक्ष्य में आपसे अपेक्षा की जाती है कि सलंगन नोटिस का निःशुल्क प्रकाशन राष्ट्रीय दैनिक समाचार–पत्र/स्थानीय समाचार–पत्रों में करवाकर उनकी प्रतियाँ इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

सलंगनक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अध्यक्ष, नीलामी समिति /  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कोर्ट सं01,उन्नाव।